मिथिला पञ्जी विज्ञान
प्रोन्नयन संस्थान

आलुर झाक

जखन विज्ञान एक दिश मानव जाति कें नाना प्रकारक सुख-सुविधा प्रदान कयलक अछि, ओतहि ओ मानव मान-जगत मे सेहो क्रांतिकारी परिवर्त्तन आनि देलक अछि। प्राचीन मान्यता सबकें आइ विज्ञानक कसौटी पर पुनर्मूल्यांकन भए रहल अछि। प्राचीन भेलहि की सब नवले ?

विश्वक सभ्यता-संस्कृतिक विकास मे भारतक योगदान अद्वितीय कहल जाइछ। आओर, भारतीय आचार-विचार, शिक्षा-साहित्य, दर्शन चिंतनक क्षेत्र मे मिथिला शिखर पर देखल जाइछ। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, तथा सामाजिक क्षेत्र मे मिथिलाक अवदान युग-युग सँ राष्ट्रीय जीवन कें दिशा दैत रहल अछि। मिथिलाक एहने एकटा देन थिकहि मे मिथिला पञ्जी व्यवस्था। एक दिस जेतय इतिहास जनक-याज्ञवल्क्यक युगधरि चल जाइछ, मुदा मिथिलाक कर्णाटवंशीय क्षत्रिय राजा हरिसिंहदेव कहबाक प्रमाणि महापण्डित [illegible] सँ सन् १३२३-२४ ई० मे पूर्ण राजकीय मान्यताक संग एकरा आधुनिक रूप मे लागू कयलनि से आइधरि मैथिल ब्राह्मण तथा कर्ण कायस्थ मे पालोल जाइछ। [illegible] श्री हरिसिंह देव [illegible] सुलभजन्मे। [illegible] मिथिला पञ्जी प्रबंधः कहला। मिथिला पञ्जी व्यवस्थाक अनुसार कोन बालकक विवाह कोन कुमारि संग भए सकइछ एकर निर्धारण होइछ। एहि हेतु 'अस्वजन पत्र' देल जाइछ तथा पञ्जी ग्रन्थ मे एकरा अंकित कए लेल जाइछ जाहि सँ कहियो कोनो विसंगति नहि घटए। चौदहम शती सँ आइधरि नाहय पुरुषक वंशावली; नाना प्रकारक जानकारी संग, पञ्जी ग्रन्थ सबहि मे सुरक्षित अछि।

पञ्जी

'विवाह निबंधन' हेतु भारतक समस्त ब्राह्मण मे गोत्र एवं प्रवरक विचार होइछ। अपन जाति मे विवाह हो, से ही परम्परा देखल जाइछ। निकट संबंधी मे विवाह वर्जित अछि। केवल दक्षिण भारत मे मामाक कन्या संग विवाह प्रचलित अछि। मिथिलाकेँ छाड़ि अन्यत्र वंशावली तथा निकट संबंधी सबहिक आलेख नहि राखल जाइछ। स्मृति तथा उपलब्ध सूचनाक आधारे पर वैवाहिक निबन्धन होइछ। 'वस्तुतः पञ्जी ही एक ऐसी वस्तु है जो मैथिल ब्राह्मणों को अन्यान्य ब्राह्मणों से पृथक करती है — आचार्य रमानाथ झा। मिथिला पञ्जी व्यवस्था क अनुसार वर-कन्या सगोत्रीय नहि हो, सपिण्डा नहि हो, पिता दिश स कोनो पुरखा सँ सातो पुश्तधरि नीच मे नहि हो, माय दिश सँ कोनो पुरखा सँ पाँच पुश्तधरि नीच मे नहि हो, विमातृ-मातामहक सन्तान नहि हो तथ कठमामक सन्तान नहि हो। ई प्रतिबन्ध अढ़ाइ तीन हजार वर्ष पूर्वक *'मातृतः पञ्चमी त्यक्त्वा पितृतः सप्तमी त्यजेत्,'* सदृश श्लोक सिद्धान्त पर आधृत अछि। एकर वैज्ञानिक आधारक संबंध मे प्रस्तुत लेखकक 'मिथिला पञ्जी व्यवस्था: *विज्ञानक कसौटी पर'* मे विस्तार सँ विवेचन कएल गेल अछि। मिथिला पञ्जी व्यवस्था मे जन्मशुद्धिक संग-संग आचारक शुद्धता एवं विद्या-व्यवसाय पर सेहो जोर देल गेल अछि। परिवार तथा देशक हेतु ई व्यवस्था उत्कर्ष अथवा अपकर्षक भिन्न कएल गेल अछि।

मिथिला पञ्जी व्यवस्थानुसारे, स्वजन सँ विवाह भेला सन्ताँ वर तथा ओकर 'सन्तान चण्डालत्व' केँ प्राप्त करइछ: *चत्वारः स्वजनगामी चण्डालाः स्वजना सुतः।* आधुनिक अनुवांशिक विज्ञानो (GENETICS) कहइछ, कम सँ कम पाँच पुश्त धरि गुणसूत्र अथवा अनुवांशिक तत्व (CHROMOSOMES) संतान मे सक्रिय अंश मे पाओल जाइछ। माय-बाप सँ संतान २३-२३ गुणसूत्र प्राप्त करइछ जे अगिला पीढ़ी मे ११-१२ अर्थात १/४, पुनः ५-६ अर्थात १/८, पुनः ३ अर्थात १/१६, पुनः १ अर्थात १/३२ आधार ओकरे पश्चाति न्यून भेल जाइछ। प्रत्येक गुणसूत्र मे असंख्य 'जीन्स' होइछ आर इएह 'जीन्स' मनुष्यक भौतिक

तथा आध्यात्मिक अस्तित्वक मूलभूत तत्व थिक। विज्ञानो मानइछ जे निकट संबंधी मे विवाह भेलासँ अनुवांशिक दूषण सबल भए उठइछ आर संतानक शरीर, चिन्तन तथा आचरण त्रुटिपूर्ण देखल जाइछ। इएह थिक 'चण्डालत्व'। एकर मात्र पाँच-सात पीढ़ी धरि पञ्जी व्यवस्थाक समुचित पालने सँ संभव: *मातृकर्दे। पुंसे तृतीये सप्तमे पंचमेऽपि वा—* याज्ञवल्क्य गुणसूत्रक कलात्मक दृष्टिए सुरत्न आर गुणात्मक दृष्टिए भेल समुन्नत संतान हेतु नितान्त वांछनीय। देखल जाइछ अन्य समाज मे पितिऔत, ममिऔत, मसिऔत भाय-बहीनो मे विवाह होइछ, सन्तानोत्पन्न होइछ। फलस्वरूप संसार मे अनुवांशिक दूषण चरम सीमाधरि पहुँच गेल अछि। मानवजाति विनाशक कगार पर पहुँच गेल अछि। सर्वत्र शारीरिक मानसिक रोग, बलात्कार-अनाचार, चोरी-डकैती, ईर्ष्या-द्वेष, शोषण-उत्पीड़नोक साम्राज्य देखल जाइछ। एहि सबहिक एकमात्र कारण त्रुटिपूर्ण विवाह एवं सन्तान थिक। एकर एक मात्र औषधि *मिथिला पञ्जी व्यवस्थाक* सार्वभौम राजकीय स्तर पर अनुपालन थिक जे अनुवांशिक वैज्ञानिक डा० ऐमरैम स्कीनफिल्ड, डा० खुराना प्रभृतिक अनुसन्धान उपलब्धिक आलोक मे नितान्त आवश्यक। *मिथिला पंजी व्यवस्थाक* वैज्ञानिकता एही सँ आँकल जा सकइछ जे कम सँ कम सात पुश्त धरिक सटीक आलेख उपलब्ध रहलासँ पूर्वहि कहि देल जा सकइछ जे कोन गोत्र-मूलक वर-कन्याक विवाह सँ केहन सन्तान (स्वस्थ वा रोगी, मेधावी वा भोदू, उद्दण्ड वा सुशील) उत्पन्न भए सकइछ।

उपर्युक्त विवेचनक आलोक मे *मिथिला पंजी विज्ञान शोध-नयन संस्थान*क स्थापना कएल गेल अछि जेकर कार्य अछि —

1. आदि मानव समाज (मैथिल ब्राह्मण, कर्ण कायस्थ) मे बहुपूर्वहि सँ पञ्जी व्यवस्थाक अनुरूप वैवाहिक निबन्धन होइत आबि रहल अछि, ओकरा वैज्ञानिक ढंग सँ सुव्यवस्थित, सबल तथा सुदृढ़ करब।

प्रत्येक मैथिल ब्राह्मण या कायस्थ परिवार चाहे ओ मिथिलांचल सँ दूर बिहारक अन्य भाग मे अथवा असम, बंगाल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उ०प्र० कर्नाटक, नेपाल आदि मे बसइत हो या भिन्न

भिन्न भाषा व इहत हो, भिन्न-भिन्न आचार-विचार अपनाए लेने हो, सबहिक वंशावली (geneology) क शुद्ध पाठ प्रस्तुत कए के आधुनिक कार्ड पद्धति सँ सुरक्षित राखब;

सदस्य लोकनिक विवाहोपयुक्त वर-कन्या सबहिक वयस, शिक्षा एवं आर्थिक-सामाजिक अवस्थाक सही जानकारी राखब आ ओर अनुवांशिक विज्ञान (गोत्र, मूल, पञ्जि), साहचर्य विज्ञान (आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक), कामशास्त्र, मनोविज्ञान तथा ज्योतिष शास्त्रक गवेषणाक परिप्रेक्ष्य मे वर कन्याक चयन करबा मे सहायता देब, 'अस्वजन पत्र' निर्गत करब तथा 'सिद्धान्त' लिखाएब।

(2) सुशासीक सुनिश्चित करबाक लेल लोकनिकें पञ्जी शास्त्रक उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण दए 'परिचेता' (जे घूमि-घूमि सदस्य लोकनि सँ परिचय संग्रह करथि) नियुक्त करब, पञ्जी शास्त्र मे प्रवीण व्यक्तिकें 'अस्वजन-पत्र' निर्गत करब तथा 'सिद्धान्त' लिखबाक अधिकार-पत्र देब जे स्थान स्थान पर जाए सिद्धान्त करा सकथि, अनुभवी एवं लब्ध-प्रतिष्ठ पञ्जीकार, विद्वान, ज्योतिषी, डाक्टर, वैज्ञानिक प्रभृतिक सक्रिय सहयोग तथा मार्गदर्शन सँ संस्थान अध्यापन, शोध अनुसन्धान आदि कार्य करत।

(3) मैथिल ब्राह्मण आ ओर कर्ण कायस्थ मे पञ्जी व्यवस्था सुस्थिर भए गेला पर, मानवजातिक वृहद कल्याणक दृष्टिए आनो जाति-समाज मे पंजी व्यवस्था लागू कएल जाएत।

पारम्परिक एवं वैज्ञानिक दुहुओ दृष्टिए 'मिथिला पंजी व्यवस्था' समस्त मानवजातिक कल्याणार्थ कतेक महत्वपूर्ण से मैथिल ब्राह्मण तथा कायस्थक, शारीरिक एवं बौद्धिक दृष्टिए, वर्तमान समुन्नत समाज सँ आँकल जा सकइछ : विश्वास अछि, लोकतन्त्रक एहि युग मे वैज्ञानिक ढंग पर पंजी व्यवस्थाक प्रोन्नयनक प्रयास मे जनता एवं सरकार दुहुक स्वतःस्फुरित सहयोग-सहाय्य संस्थान कें अवश्य होएत। स्वच्छ तथा दिव्य राष्ट्रीय जीवन हेतु ई कार्य नितान्त आवश्यक।

संतानम् हि परमो धर्मः

आचार्य भोलानाथ झा

18.10.1982
पचाढ़ी हाउस
मिर्जापुर रोड, दरभंगा

संस्थानक ज्ञाप पत्र एवं नियमावली

1. संस्थाक नाम --मिथिला पञ्जी विज्ञान प्रोन्नयन संस्थान।

2. निबंधित कार्यालय--दरभंगा।

3. मुख्यालय--पचाढ़ी हाउस, मिर्जापुर रोड, दरभंगा।

4. उद्देश्य--मानवजातिक कल्याणार्थ जन्मशुद्धि, शिक्षा-शुद्धि और आचार-शुद्धिक स्थापना।

5. कार्य-(क)-अपन उद्देश्यक पूर्ति निमित्त संस्थान पारम्परिक मिथिला पञ्जी व्यवस्थाक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान सामाजिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानक तात्विक आलोक मे समस्त मानवजाति मे जन्मशुद्धि, शिक्षाशुद्धि और आचार शुद्धिक स्थापना हेतु प्रयास करत;

प्राचीन ग्रन्थ (प्रधानतः पञ्जी ग्रन्थ) सबहिक संग्रह, अध्ययन, अनुसंधान, अनुलिपीकरण, सम्पादन, प्रकाशन, पुरातात्विक उत्खनन आदिक व्यवस्था करत;

प्रत्येक सदस्यक वंशावली एवं वैवाहिक निबंधनक आलेख आधुनिक कार्डपद्धतिक आधार पर सुरक्षित राखत;

वैवाहिक निबन्धन (सिद्धान्त) कराएब, अस्वजनपत्र निर्गत करब, स्वस्थ एवं समुन्नत मानव-समाज हेतु जन्मशुद्धिक महत्वकें सार्वभौम मान्यता उपलब्ध कराएब, एकर प्रमुख कार्य रहत।

(ख) विद्यालय, महाविद्यालय; चिकित्सालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, शोध-प्रतिष्ठान, कार्यालय, परामर्श-केन्द्र, प्रचार केन्द्र, मुद्रणालय आदि चलाएब।

(ग) अध्यापन, प्रशिक्षण, परीक्षा; प्रतियोगिता, आदिक संचालन आर पुरस्कार, पारितोषिक, छात्रवृत्ति, प्रमाण-पत्र, उपाधि-पत्र आदि प्रदान करत;

(घ) मैथिली हिन्दी, एवं अन्य भाषा सबहि मे नियमावली प्रचार-

सामग्री, पुस्तक, पत्र-पत्रिका (मासिक, साप्ताहिक दैनिक आदि) क प्रकाशन तथा वितरण ;

(छ) भवन निर्माण, जमीन, भवन, उपस्कर, वाहन आदिक खरीद-बिक्री; ई सब वस्तु किरायो पर लए एवं दए सकत;

(ज) सरकार, विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्था सब हुसँ सहयोग, सम्बन्धन, मान्यता, सहायता आदि प्राप्त कए सकत।

(झ) वैतनिक। अवैतनिक पदाधिकारी, पण्डित, पञ्जीकार, परिचेता आदि कर्मचारी सबहिकेँ नियुक्त करत; हिनका वेतन, वृत्ति, भत्ता, पुरस्कार, दण्ड दए सकत;

(ञ) सदस्य एवं सरकार सँ दान, अनुदान, चन्दा, शुल्क, किराया, ब्याज, ऋण, अग्रिम, वसीयत आदि प्राप्त कए संस्थानक निधि-वृद्धि करत तथा संचित निधिकेँ उपयोगी व्यवसाय एवं जनकल्याणक कार्य (विधवा, विद्यार्थी एवं विकलांगक सहाय्य) मे लगाए सकत;

(ट) स्थान-स्थान पर गोष्ठी, संगोष्ठी, सभा, सम्मेलन आदिक आयोजन करत;

(ठ) समिति-उपसमितिक संगठन कए सकत तथा एहि नियमावलीक अनुरूप नियम, उप-नियम, सेवा-संहिता, आचार-संहिता, शिक्षा-पद्धति आदिक निर्माण कए सकत;

(ड) संस्थानक समस्त कार्य एहि नियमावलीक अनुरूप संचालित होइत रहत।

[संप्रति संस्थानक कार्यकलाप मैथिल ब्राह्मण एवं कर्ण कायस्थ धरि सीमित रहत।]

6. *कार्यक्षेत्र*—समस्त विश्व; प्रमुखतः भारत तथा नेपाल रहत।

7. *सदस्यता*—मिथिला पञ्जी व्यवस्था मे विश्वास एवं आस्था रखनिहार प्रत्येक मैथिल ब्राह्मण तथा कर्ण कायस्थ परिवारक पुरुष सदस्य

जे विवाहित होइथ तथा जिनका सन्तान होइन्ह, संस्थानक सदस्य भए सकइत छथि। सदस्यता-शुल्क तथा सदस्य लोकनिक वर्गीकरण निम्नलिखित रहत—

(क) साधारण सदस्य (पाँच वर्ष हेतु) शुल्क 5 रु०

(ख) आजीवन सदस्य शुल्क 101 रु०

(ग) स्थायी सदस्य—आचार्य भोलानाथ झा, संस्थानक संरक्षक एवं संस्थापक

द्रष्टव्य—(1) संस्थान द्वारा नियुक्त 'परिचेता' प्रत्येक मैथिल ब्राह्मण एवं कर्ण कायस्थक घर-घर जाए परिचय तथा वंशावली प्राप्त करताह जेकरा सुयोग्य पञ्जीकार संस्थान मे पञ्जीबद्ध कए सुरक्षित रखताह। सशुल्क आवेदन करला पर साधारण सदस्यकेँ निर्दिष्ट वर-कन्या हेतु 'अस्वजन-पत्र' तथा ओही पुरुष सँ अद्यतन वंशावलीक प्रति देल जाए सकइछ। साधारण सदस्यलोकनि सँ एक व्यक्ति पाँच वर्ष हेतु संस्थानक कार्य-समितिक सदस्य मनोनीत होएताह।

(2) साधारण सदस्यकेँ देल गेल सुविधाक अतिरिक्त आजीवनकेँ मँगला पर निःशुल्क वंशावलीक प्रति तथा वर-कन्याक विवाह हेतु अस्वजन पत्र देल जाएत। हिनका लोकनि सँ पाँच व्यक्ति संस्थानक कार्य-समितिक सदस्य, आपसी निर्वाचन द्वारा, पाँच वर्ष हेतु होएताह।

(3) पूर्व स्थायी सदस्य द्वारा मनोनीत व्यक्ति स्थायी सदस्य भए सकइत छथि। ओ संस्थानक न्यास एवं संचालक मण्डलक संयोजक रहताह। त्याग-पत्र अथवा मृत्युक स्थिति मे स्थायी सदस्यक स्थान रिक्त होएत।

(4) 10,0[illegible] टाका अथवा अधिक राशि एकमुष्ठ अथवा दस हजार टाकाक प्रतिसम्पत्ति [illegible] संस्थानक संरक्षक होइताह। हिनको ओ समस्त सुविधा रहत जे आजीवन सदस्यकेँ [illegible] अछि। संरक्षक लोकनि सँ दुइ महानुभाव [illegible] कार्यसमितिमे लेल जेताह। संरक्षकक सुझाव-परामर्श [illegible] हेतु कार्यसमिति बाधित रहत।

द्रष्टव्य—कन्यादान हेतु साधारण सदस्यकें तीन हजार धरि ऋण भेट सकइत अछि। एहि हेतु एक टाका प्रतिमास संस्थान मे जमा करय होयतन्हि। आजीवन सदस्यकें पाँच हजार तथा संरक्षकें सात हजार टाका धरि ऋण भेट सकइछ। एहि दुहुओकें मासिक धनराशि जमा करब जरूरी नहि। ऋण दुइ वर्षक अन्दर दुइ प्रतिशत नाम मात्र साधारण ब्याज सहित वापस कए देब आवश्यक। एहि हेतु दुइ विश्वस्त व्यक्तिक प्रतिभूति चाही। ऋण स्वीकृति हेतु संस्थानक पदाधिकारक अनुशंसा आवश्यक।

8. कार्य समिति—(क) संस्थानक कार्य-समिति सर्वोच्च अधिकारिणी समिति होयत। एकर कार्यकाल पाँच वर्ष होयत। जावत नवीन समितिक गठन नहि भए जायत, पुरने समिति कार्य करइत रहत। एहिमे 21 सदस्य रहताह—

1. स्थायी सदस्य	—	1
2. संरक्षक	—	2
3. आजीवन	—	5
4. साधारण	—	10
5. न्यास मण्डल	—	2
6. कार्यकर्त्ता प्रतिनिधि	—	1

द्रष्टव्य—(i) संस्थानक अहित कैनिहार अथवा असत् आचारणक कारणे वर्ग 3,4 एवं 6 क सदस्यकेँ निलम्बित एवं निष्कासित कएल जा सकइछ। (ii) वर्ग 1,2,3,5 एवं 6 क सदस्य लोकनि द्वारा—बिहार सँ 2, नेपाल सँ 3, आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली एवं महाराष्ट्र प्रत्येक सँ एक-एक साधारण सदस्य निर्वाचित होयताह।

(ख) वर्ष मे कार्य समितिक कम सँ कम तीन बइसक होयत। अंतिम बइसक मार्च मे होयत जे वार्षिक बइसक कहाओत। पहिले साल वर्षक

अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अगिला वर्षक अनुमित आय-व्यय पत्रक स्वीकृत होयत। एक मासक लिखित सूचना पर प्रबन्ध निदेशक कार्य समितिक बइसक बजओताह। आपाती बइसक सात दिनक सूचना सँ बजाओल जाएत। कार्य समितिक पन्द्रह सदस्यक संयुक्त हस्ताक्षर सँ विशेष बइसक बजाओल जाएत। सात सदस्यक उपस्थिति गणपूरक होयत। समितिक समस्त निर्णय बहुमत सँ होयत। समान मतक स्थिति मे अध्यक्ष अपन निर्णायक मत देताह। समितिक समस्त संकल्प लिखित रहत।

9. *पदाधिकारी*—(1) *अध्यक्ष* : कार्य समितिक सदस्य अपनामे सँ पाँच वर्ष हेतु एक अध्यक्षक निर्वाचन करताह जे संस्थानोक अध्यक्ष होयताह। अध्यक्ष कार्य समितिक बइसकक अध्यक्षता करताह। हिनक अनुपस्थिति मे उपस्थित सदस्य सबहि सँ एक वरिष्ठ सदस्यकें बइसकक अध्यक्ष बनाओल जायत।

(2) *प्रबन्ध निदेशक* : ओ कार्य समितिक सचिव एवं प्रधान कार्यपालक होयताह। पाँच वर्ष हेतु कार्य समितिक सदस्य अपनामे सँ एक प्रबन्ध निदेशक निर्वाचित करताह जे कार्य समितिक निर्णय-संकल्प सबहिकें कार्यान्वित करबाक दिशामे प्रयास कए प्रयत्नशील रहताह।

(3) *कोषाध्यक्ष* : पाँच वर्ष हेतु कार्य समितिक सदस्य अपनामे सँ एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित करताह जे संस्थानक आय-व्ययक पर नियन्त्रण रखताह। हिसाब किताबक जाँच करता वा करओताह तथा समितिक स्वीकृतार्थ अनुमित आय-व्यय पत्रक एवं अंकेक्षक प्रतिवेदन उपस्थापित करताह।

(4) *अंकेक्षक* : कार्य समिति प्रतिष्ठित चार्टेड एकाउन्टेन्ट कें संस्थानक अंकेक्षक नियुक्त करत जे संस्थानक समस्त आय-व्ययक जाँच कए प्रतिवेदन देताह।

(5) *अन्य पदाधिकारी* : कार्य समिति अन्य वैतनिक, अवैतनिक पद सबहिक सृष्टि कए सकइछ आर ओहि पर नियुक्ति कए सकइछ।

द्रष्टव्य—(i) संस्थानक पदाधिकारी लोकनिकें वेतन, भत्ता, मानदेय, पारिश्रमिक आदि देल जा सकइछ जेकर निर्धारण कार्य समिति करत।

(ii) कार्य समितिक निष्क्रियता अथवा विघटनक स्थितिमे समस्त दायित्व स्थायी सदस्यक जिम्मा रहत जे एहि नियमावलीक अनुरूप नवीन कार्य समितिक गठन कए सकइत छथि।

(iii) स्थायी सदस्यक अनुशंसा पर अध्यक्ष कार्यसमितिकेँ समय सँ पहिनहु विघटित कए सकइत छथि।

10. *न्यास मण्डल* : संस्थानक चल-अचल सम्पत्ति आदिक देख-भाल करबाक हेतु पाँच सदस्यक एक न्यास मण्डल रहत जे अपन नियमावली स्वयं बनाओत।

11. *अधिकार* : संस्थानक अधिकार शाश्वत रहत।

12. *वित्तीय वर्ष* : 1 अप्रैल सँ 31 मार्च धरि।

13 *संशोधन*—कार्य समितिक पन्द्रह सदस्य लोकनिक उपस्थिति एवं सहमति सँ एहि नियमावली मे, पूर्व प्रचारित विषयानुसार, संशोधन भए सकइछ।

14. *व्याख्या* : नियमावलीक व्याख्या स्थायी सदस्य अंतिम रूप सँ करताह जे सर्वमान्य होएत।

15. *तदर्थ समिति* : जाबत एहि नियमावलीक अनुसार संस्थानक कार्य समितिक गठन नहि भए जाइछ, स्थायी सदस्य द्वारा घोषित तदर्थ समिति गठित कए संस्थानक कार्य चला सकइत छथि।

तदर्थ समिति

अध्यक्ष

1. आचार्य सुरेश्वर सिंह—गोयनका कालेज, सीतामढ़ी।

प्रबन्ध निदेशक

2. आचार्य भोलानाथ झा—पूर्व कुलसचिव एवं आचार्य, हिन्दी विद्यापीठ, देवघर।

कोषाध्यक्ष

3. श्री योगेन्द्र शाण्डिल्य—ममता अगरबत्ती वर्क्स, नया औद्योगिक प्रांगण, बेला, दरभंगा,

प्रचार सचिव

4. श्री धरणीश्वर सिंह—पचाढ़ी हाउस, मिर्जापुर, दरभंगा।

(सदस्य)

5. प्रो० राधाकृष्ण चौधरी—भागलपुर वि० वि०
6. श्री शक्तिनन्दन झा—पञ्जीकार (मि० ब्राह्मण)
7. श्री निशिकान्त कण्ठ—पञ्जीकार (कर्ण कायस्थ)

राधा प्रिंटिंग प्रेस, गुल्जोबाड़ा, दरभंगा मूल्य—दुइटाका मात्र